कार्यालय : अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति समिति, 2014
जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला।

क्रमांक : 02 दिनांक : 14–07–2014

–: विज्ञप्ति :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या : 09/P.I./2014/ दिनांक 24–6–2014 में दिये गये निर्देशानुसार जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैण्ड PB-1, 5200-20200, ग्रेड–पे 1700/– रूपये प्रतिमाह में अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्तमान में 3 (तीन) पद रिक्त हैं तथा दिनांक 31–12–2014 तक 1 (एक) पद रिक्त होने की सम्भावना है, जिनमें से 01 (एक) पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं तथा शेष 03 (तीन) पद अनारक्षित वर्ग के हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उक्त रिक्त पदों पर राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या F-11(7)FD (नियम)/2008 दिनांक 12–9–2008 के नियम 21 के अन्तर्गत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह पर बतौर प्रोबेशन ट्रेनी, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमन्त्रित किये जाते हैं। दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि सन्तोषप्रद होने पर ही अभ्यर्थी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा एवं नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन देय होगा।

वर्तमान में जो ज्ञापित पद हैं, वह अधिशेष कर्मचारियों को समाविष्ट करके या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा नियमों के अनुसार अन्तर्जिला स्थानान्तरण से भरे जा सकेंगें। ज्ञापित पद प्रायोगिक अथवा अनन्तिम (Tentative) हैं, जिनके घटने–बढ़ने की सम्भावना है। उक्त पदों की संख्या घटाने/बढ़ाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। रिक्त पदों पर भर्ती रोस्टर नियमों के अनुसार की जाएगी। महिलाओं को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय है। विशेष योग्यजन (विकलांग), उत्कृष्ट खिलाड़ियों, विशेष पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण देय है। आवेदकों के लिये निम्नांकित आवश्यक योग्यतायें तथा शर्तें लागू होंगी :–

1– **राष्ट्रीयता** :–
आवेदक भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के नियम 11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता रखता हो।

2– **आयु** :–
आवेदक की आयु दिनांक 1–1–2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/विधवा/तलाकशुदा महिलाओं और अन्य आरक्षित वर्गो को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

3— **शैक्षणिक योग्यता** :—
उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने व लिखने का व्यावहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है।

4— **चरित्र** :—
(1)— आवेदक को ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगें, जो आवेदक के रिश्तेदार न हों। उक्त चरित्र प्रमाण पत्र छह माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।
(2)— प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि आवेदक के विरूद्ध कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित है तो उक्त मामले का विवरण शपथ पत्र में अंकित करना होगा। उक्त शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।

5— **शारीरिक योग्यता** :—
आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक अथवा मानसिक दोष नहीं होना चाहिये, जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो। इस पद के लिये चयनित होने पर आवेदक को सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6— **विवाह पंजीयन** :—
राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(3)कार्मिक/क—2/2006 दिनांक 30—6—2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना होगा। जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22—5—2006 को या उसके पश्चात् हुआ है, वे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ पेश करेंगें तथा दिनांक 22—5—2006 से पूर्व विवाहित आवेदकों तथा अविवाहित आवेदकों को निर्धारित संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र (10/— रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करना होगा।

7— **सन्तान सम्बन्धी सूचना** :—
जिन अभ्यर्थियों के दिनांक 1—6—2002 को या इसके पश्चात् तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। अतः समस्त विवाहित आवेदकों को इस आशय का घोषणा पत्र (10/— रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित) आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा कि कि उनके दिनांक 1—6—2002 को अथवा इसके पश्चात् तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

8— **पेंशन योजना** :—
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(7)एफडी(रूल्स)97 दिनांक 14—1—2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (एफडी) (रूल्स) दिनांक 13—3—2006 एवं दिनांक 12—9—2008 तथा इस सम्बन्ध

4 क्र..

में तत्पश्चात् किये गये समस्त संशोधनों के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण सम्बन्धी सभी नये नियम प्रभावी/लागू होंगें।

9– **आवेदन पत्र :–**

आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सादे कागज पर सुस्पष्ट लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ, प्रस्तुत करना होगा। उक्त आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगा कर उस पर हस्ताक्षर करने होंगें। आवेदक को आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, पति/पत्नी का नाम, जन्म–तिथि, राष्ट्रीयता, जाति आरक्षित वर्ग (यदि लागू हो), स्थाई पता, वर्तमान पता, नियोजन कार्यालय का पंजीयन संख्या व स्थान, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य कोई अनुभव हो तो इन सभी का उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

10– **आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि :–**

आवेदन पत्र दिनांक **7–8–2014** को कार्यालय समय सांय 5.00 पी. एम. तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिये। उपरोक्त अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र अग्रेषित करवा कर प्रेषित करें।

11– **अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–**

(1)– जन्म–तिथि प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
(2)– शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां
(3)– अन्य कोई दक्षता/योग्यता/अनुभव हो तो उसके प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
(4)– आरक्षण चाहने बाबत् जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
(5)– आयु सीमा में छूट बाबत् जाति प्रमाण पत्र अथवा अन्य यथोचित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
(6)– विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवम् तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित डिकी की प्रमाणित प्रति।
(7)– दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों (जो आवेदक के रिश्तेदार न हों) द्वारा प्रदत्त दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने न हो।
(8)– दोषसिद्धि नहीं होने के बारे में शपथ पत्र।
(9)– विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा विज्ञप्ति के संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र
(10)– विवाहित आवेदक को दिनांक 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने बाबत् तथा दहेज नहीं लेने बाबत् विज्ञप्ति के संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र।
(11)– नियोजन कार्यालय से नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
(12)– स्वयं का पता लिखा हुआ एवं 5/– रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एक लिफाफा

12— <u>साक्षात्कार</u> :—
आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही एवं पूर्ण पाये जायेंगें, उनकी सूची जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला के नोटिस बोर्ड पर दिनांक <u>18—8—2014</u> को चस्पा कर दी जायेगी तथा उनका साक्षात्कार दिनांक <u>13—9—2014</u> व <u>14—9—2014</u> को 10 बजे से जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला के कार्यालय में लिया जाएगा, जिसकी पृथक से कोई सूचना किसी भी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी तथा न ही साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय होगा। **आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, वे सभी मूल दस्तावेज आवेदक को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।**

13— <u>नियुक्ति के लिये निर्हरता</u> :—
(1)— आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किये गये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद पर भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
(2)— कोई भी पुरूष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार द्वारा इस बात का समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।
(3)— कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
(4)— ऐसा आवेदक, जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेख, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी पाया गया हो, वह इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

इस विज्ञप्ति में वर्णित तिथियों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा। साक्षात्कार की तिथियों अथवा अन्य तिथियों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, जिसकी पृथक से कोई सूचना किसी भी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। इसकी जानकारी करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। साक्षात्कार में सफल पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी।

नोटः सम्पूर्ण विज्ञप्ति इस न्यायालय की वेबसाईट <u>http://ecourts.gov.in/jodhpur</u> पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति समिति 2014
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जोधपुर जिला।

क्रमांक : 06 – 56 दिनांक : 14–07–2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2– माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन), राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
3– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
4– जिला कलॅक्टर, जोधपुर।
5– जिला नियोजन अधिकारी, जोधपुर।
6– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर।
7– सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु।
8– जोधपुर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालय ....
9– सूचना पट्ट जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला।
10– कार्यालय प्रति।

अध्यक्ष,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति समिति 2014
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जोधपुर जिला।

–: श प थ – प त्र :–

(10/– रूपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी तस्दीक किया हुआ)

मैं श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता/करती हूं कि :–

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीकरण दिनांक 22–5–2006 को लागू होने से पूर्व, दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूं।

या

मैं .... विधुर/विधवा हूं, मेरे पत्नी/पति का नाम श्री/श्रीमती .... था जिसका देहान्त दिनांक .... को हो गया। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)

या

मैं .... तलाकशुदा हूं। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)

या

मैं परित्यक्ता हूं एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक .... को सम्पन्न हुआ था।

तथा

मुझे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित है।

शपथकर्त्ता

सत्यापन : मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... आज बमुकाम .... में शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूं कि इस शपथ पत्र में वर्णित उक्त सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं, इसका कोई भाग गलत नहीं है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। इति दिनांक :

स्थान :

शपथकर्त्ता

(10/– रूपये नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी तस्दीक किया हुआ)

–: घोषणा पत्र :–

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे दिनांक 1–6–2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

या

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं अविवाहित हूं तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करूंगा।

स्थान : हस्ताक्षर घोषणाकर्त्ता

दिनांक :

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नवीनतम फोटो मय हस्ताक्षर

1— नाम : ....

2— पिता का नाम : ....

3— विवाहित होने की दशा में
पति/पत्नी का नाम : ....

4— जन्म दिनांक (अंकों में) : ....
(शब्दों में) : ....

5— राष्ट्रीयता : ....

6— जाति : ....

7— आरक्षित वर्ग का नाम : ....

8— स्थाई पता : ....

9— वर्तमान पता : ....

10— मोबाईल/दूरभाष नम्बर : ....

11— नियोजन कार्यालय में
पंजीयन संख्या व स्थान : ....

12— शैक्षणिक योग्यता : ....

13— दिनांक 1—1—2015 को आयु : वर्ष .... माह .... दिन ....

14— अन्य कोई अनुभव / योग्यता : ....

15— वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हो :
पद सेवा की अवधि एवं पदनाम : ....

16— अग्रेषण अधिकारी का नाम, पदनाम,
यदि अभ्यर्थी पूर्व में सेवारत है : ....

स्थान :
दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

मैं .... सत्यापित करता/करती हूं कि आवेदन पत्र
अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है।
स्थान :
दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर